



न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल : लखनऊ , जनपद : लखनऊ , तहसील : बखशी का तालाब
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460407826
वाद संख्या:- 7826/2025
आशुतोष खरे बनाम बृज मोहन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2025

ग्राम-मडियॉव वाद संख्या-7826/2025
निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी के प्रार्थना पत्र धारा-34/35 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज मिसिलबन्दकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया। जो कि बाद तामीला वापस संलग्न पत्रावली है। वादी द्वारा मूल विक्रय पत्र व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने का शपथ पत्र दाखिल किया गया। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये गये। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान के अनुसार विक्रीत भूमि आवंटन, भूदान, सीलिंग शत्रु सम्पत्ति निष्क्रांति सम्पत्ति से प्रभावित नहीं है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है। उपरोक्त लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्तपन्न नहीं होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम मडियॉव परगना महोना तहसील बखशी का तालाब जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1429-1434फ0 के खाता संख्या 00459 पर अंकित गाटा संख्या 851 रकबा 4.5520 हे0 मे से रकबा 0.2750 हे0 से विक्रेता बृज मोहन व राम मोहन पुत्रगण मनोहर लाल निवासी नई बिल्डिंग सराय हसनगंज, लखनऊ व हर्षित अग्रवाल पुत्र स्व0 अगस्त अग्रवाल व श्रीमती अंजना अग्रवाल पत्नी स्व0 अगस्त अग्रवाल निवासगुण मकान नम्बर-494/135 सराय हसनगंज, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिंग गार्डन (पेन-एडीपीएफ 9990 आर) पंजीकृत कार्यालय सीपी 138 विराज खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, अपने पार्टनर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व0 पी0डी0 खरे निवासी-फ्लैट नं0 जी-05 टावर सी शालीमार ग्रेड 10 जोपलिंग रोड, लखनऊ उ0प्र0 का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक:-04.03.2025 ई0, आवेदन संख्या 202500820007794, विक्रय मूल्य- 1,70,50,000/-रू0 के आधार पर अंकित हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी

दिनांक:-09.05.2025 तहसीलदार

बखशी का तालाब, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बखशी का तालाब
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : बखशी का तालाब
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460412300
वाद संख्या:- 12300/2025
स्प्रिंग गार्डन बनाम राकेश कुमार अग्रवाल आदि
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/08/2025

वाद सं0-2829/25 ग्राम-मडियॉव,
निर्णय

प्रश्नगत वाद स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय सीपी 138, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व0 पी0 डी0 खरे निवासी फ्लैट नं0 जी-05, टावर सी, शालीमार ग्रेण्ड, 10 जापलिंग रोड, लखनऊ, के नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया। वाद दर्ज होने के पश्चात् नियमानुसार इशतार जारी किया गया जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादी द्वारा बैनामा की प्रति व उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के उपबन्धों के उल्लंघन न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। विक्रय पत्र के सम्बंध में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान अंकित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि विक्रय की गयी भूमि ग्राम समाज, भू-दान, सीलिंग, व कृषि आवंटन की नहीं है। तथा विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.03.2025 के बिन्दु 11 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0 24519/2017 का उल्लेख किया गया है, तथा वर्तमान खतौनी में उक्त विक्रयशुदा भूमि के सम्बंध में कोई भी स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। चूंकि नामान्तरण प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमें उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है न कि स्वत्व का निर्धारण। यदि भविष्य में उक्त रिट याचिका में कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से बैनामें की पुष्टि होती है। वाद निर्विवाद है। प्रश्नगत अन्तरण से उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-88, 89, 97 व 98 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त नामान्तरण वाद में किसी भी प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर नामान्तरण आदेश विधि व्यवस्था के आधार पर स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकारते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम-मडियॉव, परगना-महोना, तहसील-बखशी का तालाब, जनपद- लखनऊ खतौनी सन् 1429-1434फ0 तक के खाता सं0 0629 की खसरा सं0 845 रकबा 0.9370 हे0 में से रकबा 0.257767 हे0 व खसरा सं0 846 रकबा 0.6970 हे0 में से रकबा 0.131167 हे0 व खसरा सं0 847 रकबा 0.7600 हे0 में से रकबा 0.0100 हे0 कुल तीन किता विक्रीत रकबा 0.3989 हे0 मा0 गु0 बमोजिब 60ख से विक्रेता-श्री राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल निवासी 498/88, फैजाबाद रोड, नियर गोपेश्वर महादेव मन्दिर, सराय हसनगंज, लखनऊ नार्थ, निराला नगर, लखनऊ व श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल निवासी 498/88, फैजाबाद रोड, नियर गोपेश्वर महादेव मन्दिर, सराय हसनगंज, लखनऊ नार्थ, निराला नगर, लखनऊ का नाम पृथक होकर क्रेता-श्री स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय सीपी 138, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व0 पी0 डी0 खरे निवासी फ्लैट नं0 जी-05, टावर सी, शालीमार ग्रेण्ड, 10 जापलिंग रोड, लखनऊ का नाम सं0भू0 सहायतेदार जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.03.2025 के आधार पर अंकित हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: पीठासीन अधिकारी

न्या0 नायब तह0 बी0के0टी0,

बखशी का तालाब, लखनऊ

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :बखशी का तालाब

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460406004

वाद संख्या:- 6004/2025

एम/एस स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रा०लि० बनाम राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ राजकुमार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 10/05/2025

ग्राम-मडियाँव वाद संख्या-1950/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी के प्रार्थना पत्र धारा-34/35 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज मिसिलबन्दकर नियमानुसार इशतिहार जारी किया गया। जो कि बाद तामीला वापस संलग्न पत्रावली है। आज तक कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई। वादी द्वारा मूल विक्रय पत्र व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने का शपथ पत्र दाखिल किया गया। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये गये। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान आख्या के अनुसार विक्रीत भूमि, सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान से प्रभावित नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है। उपरोक्त लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम मडियाँव परगना महोना तहसील बखशी का तालाब जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1429-1434फ० के खाता संख्या 00629 पर अंकित गाटा संख्या 845 रकबा 0.9370 हे० मे से रकबा 0.15617 हे० व गाटा संख्या 846 रकबा 0.6970 हे० मे से रकबा 0.11617 हे० व गाटा संख्या 847 रकबा 0.7600 हे० मे से रकबा 0.12667 हे० कुल तीन किता कुल रकबा 0.3990 हे० से विक्रेता श्री राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ श्री राज कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल निवासी- ए-12 शालिमार पैराडाईज, सफेदाबाद, मोहम्मदपुर चौकी, बाराबंकी उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता श्री स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रा०लि० कार्यालय पता- सीपी 138, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व० पी.डी. खरे निवासी- फ्लैट नं०- 10 जापलिंग रोड, लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक:-27.12.2024 ई० आवेदन संख्या 202400821097425, विक्रय मूल्य 2,89,60,000/रु० के आधार पर अंकित हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-10.05.2025

तहसीलदार

बखशी का तालाब, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बखशी का तालाब
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : बखशी का तालाब
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460402451
वाद संख्या:- 2451/2025
सिप्रिंग गोल्ड सादन प्रा० लि० बनाम राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ राज कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 17/04/2025

वाद सं०-1150/25 ग्राम-मडियॉव,
निर्णय

प्रश्नगत वाद श्री सिप्रिंग गोल्डसाइन प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय सीपी 138, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व० पी० डी० खरे निवासी फ्लैट नं० जी-05, टावर सी, शालीमार ग्रेण्ड, 10 जापलिंग रोड, लखनऊ, के नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया। वाद दर्ज होने के पश्चात् नियमानुसार इशतार जारी किया गया जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादी द्वारा बैनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 के उपबन्धों के उल्लंघन न होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। विक्रय-पत्र के सम्बंध में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान अंकित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि विक्रय की गयी भूमि ग्राम समाज, भू-दान, सीलिंग, व कृषि आवंटन की नहीं है। तथा विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से बैनामे की पुष्टि होती है। वाद निर्विवाद है। प्रश्नगत अन्तरण से उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-88, 89, 97 व 98 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त नामान्तरण वाद में किसी भी प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर नामान्तरण आदेश विधि व्यवस्था के आधार पर स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः नामान्तरण प्रार्थना-पत्र स्वीकारते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम-मडियॉव, परगना-महोना, तहसील-बखशी का तालाब, जनपद- लखनऊ खतौनी सन् 1429-1434फ० तक के खाता सं० 0629 की खसरा सं० 845 रकबा 0.9370 हे० में से रकबा 0.15617 हे० व खसरा सं० 846 रकबा 0.6970 हे० में से रकबा 0.11617 हे० व खसरा सं० 847 रकबा 0.7600 हे० में से रकबा 0.12667 हे० मा० गु० बमौजिब 60ख से विक्रेता-श्री राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ राज कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल निवासी ए-12, शालीमार पैराडाइज, सफेदाबाद, मोहम्मदपुर चैकी, बाराबंकी का नाम पृथक होकर क्रेता-श्री सिप्रिंग गोल्डसाइन प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय सीपी 138, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व० पी० डी० खरे निवासी फ्लैट नं० जी-05, टावर सी, शालीमार ग्रेण्ड, 10 जापलिंग रोड, लखनऊ का नाम सं०भू० सहखातेदार जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.12.2024 के आधार पर अंकित हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: पीठासीन अधिकारी

न्या० नायब तह० बी०के०टी०,

बखशी का तालाब, लखनऊ

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावतियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बखशी का तालाब
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : बखशी का तालाब
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460412283
वाद संख्या:- 12283/2025
स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रांलि० बनाम राकेश कुमार अग्रवाल आदि
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/08/2025

वाद सं०-2812/25 ग्राम-मडियॉव,
निर्णय

प्रश्नगत वाद स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रां लि० पंजीकृत कार्यालय सीपी 138, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व० पी० डी० खरे निवासी फ्लैट नं० जी-05, टावर सी, शालीमार ग्रेण्ड, 10 जापलिंग रोड, लखनऊ, के नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया। वाद दर्ज होने के पश्चात् नियमानुसार इशतार जारी किया गया जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादी द्वारा बेनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 के उपबन्धों के उल्लंघन न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। विक्रय पत्र के सम्बंध में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान अंकित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि विक्रय की गयी भूमि ग्राम समाज, भू-दान, सीलिंग, व कृषि आवंटन की नहीं है। तथा विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न पंजीकृत बेनामा दिनांक 29.03.2025 के बिन्दु 11 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं० 24519/2017 का उल्लेख किया गया है, तथा वर्तमान खतौनी में उक्त विक्रयशुदा भूमि के सम्बंध में कोई भी स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। चूंकि नामान्तरण प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमें उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है न कि स्वत्व का निर्धारण। यदि भविष्य में उक्त रिट याचिका में कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश के आधीन रहेगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से बेनामों की पुष्टि होती है। वाद निर्विवाद है। प्रश्नगत अन्तरण से उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-88, 89, 97 व 98 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उक्त नामान्तरण वाद में किसी भी प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर नामान्तरण आदेश विधि व्यवस्था के आधार पर स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः नामान्तरण प्रार्थना-पत्र स्वीकारते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम-मडियॉव, परगना-महोना, तहसील-बखशी का तालाब, जनपद- लखनऊ खतौनी सन् 1429-1434फ० तक के खाता सं० 0629 की खसरा सं० 845 रकबा 0.9370 हे० में से रकबा 0.05457 हे० व खसरा सं० 846 रकबा 0.6970 हे० में से रकबा 0.10117 हे० व खसरा सं० 847 रकबा 0.7600 हे० में से रकबा 0.24333 हे० कुल तीन किता विक्रीत रकबा 0.39907 हे० मा० गु० बमोजिब 60ख से विक्रेता-श्री राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल निवासी 498/88, फेजाबाद रोड, नियर गोपेश्वर महादेव मन्दिर, सराय हसनगंज, लखनऊ नार्थ, निराला नगर, लखनऊ व श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल अग्रवाल निवासी 498/88, फेजाबाद रोड, नियर गोपेश्वर महादेव मन्दिर, सराय हसनगंज, लखनऊ नार्थ, निराला नगर, लखनऊ का नाम पृथक होकर क्रेता-श्री स्प्रिंग गोल्डसाइन प्रां लि० पंजीकृत कार्यालय सीपी 138, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा डायरेक्टर श्री आशुतोष खरे पुत्र स्व० पी० डी० खरे निवासी फ्लैट नं० जी-05, टावर सी, शालीमार ग्रेण्ड, 10 जापलिंग रोड, लखनऊ का नाम सं०भू० सहसातेदार जरिये पंजीकृत बेनामा दिनांक 29.03.2025 के आधार पर अंकित हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: पीठासीन अधिकारी

न्या० नायब तह० बी०के०टी०,

बखशी का तालाब, लखनऊ

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"